<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-9/2025/498/तीस-4-2025</u>

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 07 मई, 2025

विषयः- लखनऊ स्थित 'निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र' (Inspection & Certification Centre) में वाहनों के फिटनेस परीक्षण एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र के निर्गमन हेतु पुरानी परिवहन प्रणाली पहुँच (Old Parivahan System Access) को पुनः प्रभावी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से सम्बंधित अवर सचिव, परिवहन अनुभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-आरटी-23013/2/2023-टी, दिनांक 22.04.2025 एवं तत्क्रम में प्रेषित परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-233वै0स0/प0आ0/2025, दिनांक 06.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के संदर्भित पत्र दिनांक 06.05.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि लखनऊ जनपद में स्थित 'निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र' (Inspection & Certification Centre) पूर्णतः उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व में है और स्वचालित परीक्षण स्टेशन (Automated Testing Station-ATS) के रूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अथवा पंजीकृत नहीं है। यह केन्द्र पूर्व से ही विभागीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत है और इससे होने वाली समस्त आय राज्य सरकार के कोष में जमा होती है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0 663 (ई), दिनांक 12.09.2023 एवं जी0एस0आर0 709(ई), दिनांक 14.11.2024 के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान नियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ एटीएस कार्यरत हैं, वहाँ दिनांक 1 मई, 2025 से मैनुअल फिटनेस प्रक्रिया समाप्त कर एटीएस के माध्यम से अनिवार्य कर दी गई है।

हालांकि, I&C Centre, लखनऊ न तो तकनीकी रूप से ATS के मानकों पर पंजीकृत है और न ही राज्य द्वारा इसके अपग्रेडेशन की कोई औपचारिक स्वीकृति अथवा योजना भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लखनऊ जनपद में कोई भी निजी ATS पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं है, जबकि जनपद में लगभग 2 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहन पंजीकृत है।

उक्त परिस्थितियों में लखनऊ स्थित I&C केन्द्र को ATS मानते हुए यहां की फिटनेस प्रक्रिया को रोकना जनहित, शासकीय राजस्व एवं वाहन स्वामियों की सुविधा की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लखनऊ स्थित 'निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र' (Inspection & Certification Centre) को स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS under the MoRTH Scheme) के रूप में न माने जाने एवं वहां की फिटनेस प्रक्रिया को पूर्ववत् जारी रखने के प्रयोजनार्थ पुरानी परिवहन प्रणाली पहुँच (Old Parivahan System Access) को पुनःप्रभावी करते हुए, तदनुसार राज्य सरकार को कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-9/2025/498(1)/तीस-4-2025, तद्दिनांक:-

उक्त की प्रतिलिपि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र संख्या-233वै0स0/प0आ0/2025, दिनांक 06.05.2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in